

समाहरणालय, जहानाबाद ।

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जहानाबाद जिले में विधि व्यवस्था / शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु आयुध नियम-2016 के नियम-30 के अन्तर्गत अग्नेयास्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा धारित शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराना आवश्यक है। अतः शस्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति निम्न प्रकार की जाती है-

क्र०	थाना/ओ०पी० का नाम	प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी	शस्त्र निरीक्षण की तिथि
1	2	3	4
1	जहानाबाद थाना	अंचल अधिकारी, जहानाबाद	01.11.2017 से 02.11.2017 तक
2	कड़ौना ओ०पी०	अंचल अधिकारी, जहानाबाद	03.11.2017
3	कल्पा ओ०पी०	अंचल अधिकारी, जहानाबाद	04.11.2017
4	परसबिगहा थाना	✓ अंचल अधिकारी, जहानाबाद	06.11.2017
5	मखदुमपुर थाना	अंचल अधिकारी, मखदुमपुर	01.11.2017 से 02.11.2017 तक
6	पर्यटन थाना, बराबर	अंचल अधिकारी, मखदुमपुर	03.11.2017
7	टेहटा ओ०पी०	अंचल अधिकारी, मखदुमपुर	03.11.2017 से 04.11.2017
8	हुलासगंज थाना	अंचल अधिकारी, हुलासगंज	01.11.2017 से 02.11.2017 तक
9	घोषी थाना	अंचल अधिकारी, घोषी	01.11.2017 से 02.11.2017 तक
10	ओकरी ओ०पी०	अंचल अधिकारी, मोदनगंज	01.11.2017 से 02.11.2017 तक
11	शकुराबाद थाना	अंचल अधिकारी, रतनी फरीदपुर	01.11.2017 से 02.11.2017 तक
12	काको थाना	अंचल अधिकारी, काको	01.11.2017 से 02.11.2017 तक
13	भेलावर ओ०पी०	अंचल अधिकारी, काको	03.11.2017 से
14	पाली थाना	अंचल अधिकारी, काको	04.11.2017 तक

उपरोक्त प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी निर्धारित तिथि को 10:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक संबंधित थाना में उपस्थित रहकर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कर अनुज्ञप्ति पर Inspected for the year 2017 अंकित करेंगे। साथ ही उनके पास उपलब्ध कारतूस के संबंध में भी प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

सभी थाना/ओ०पी० अध्यक्ष को निदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि के पूर्व थाना के शस्त्र पंजी का मिलान जिला शस्त्र शाखा, जहानाबाद के पंजी से कर लें ताकि किसी भी अनुज्ञप्तिधारी का शस्त्र भौतिक सत्यापन से वंचित नहीं रह जाय।

